

अ धि सू च ना

विषय- मुख्यालय कर्मचारी कल्याण निधि (HQ-SBF) से शैक्षणिक (तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा), स्वयं/परिवार (वार्ड) की बीमारी एवं चश्मा के लिए सहायता वर्ष'2017-18.

वर्ष'2017-18 में पूर्व मध्य रेलवे के कर्मचारियों / सुरक्षा बल के सदस्यों सहित मुख्यालय के सभी विभागों के कर्मचारियों (गुप डी एवं गुप सी) को शैक्षणिक (तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा), स्वयं/परिवार/वार्ड की बीमारी एवं स्वयं के लिए चश्मा हेतु मुख्यालय कर्मचारी कल्याण निधि (HQ-SBF) से सहायता प्रदान किये जाने से संबंधित नियम के साथ आवेदन प्रपत्र (Performa) का नमूना संलग्न है। उपर्युक्त वर्णित सहायता प्राप्त करने के लिए इच्छुक कर्मचारी अपना आवेदन (दिए गये Performa में), मुख्यालय कर्मचारी कल्याण अनुभाग को दिनांक 24/10/2017 तक भेज सकते हैं।

1. इच्छुक कर्मचारी अपने पुत्र/पुत्री के शैक्षणिक सहायता हेतु संलग्न प्रपत्र (Performa) में आवेदन देंगे। आवेदन में अपना बैंक खाता संख्या और बैंक का नाम व पता का उल्लेख करना आवश्यक है।
2. सभी अराजपत्रित कर्मचारियों से स्वयं /परिवार/वार्ड की बीमारी एवं स्वयं का चश्मा के लिए HQ-SBF से सहायता हेतु आवेदन, (Performa में) जमा करेंगे।
3. कर्मचारियों का सभी आवेदन, (Performa में) पूर्ण रूप से भरकर संबंधित कार्यालय प्रधान से प्रति-हस्ताक्षरित (Countersigned) करवाकर निर्धारित समय के अन्दर जमा करेंगे। कर्मचारी कल्याण निधि समिति द्वारा जैसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी।
4. कर्मचारी चश्मा के लिए आवेदन केवल स्वयं के लिए ही दे सकते हैं।
5. कर्मचारी कल्याण निधि समिति द्वारा विभागों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 24/10/2017 है। उक्त तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस सम्बन्ध में सभी विभागों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन कल्याण अनुभाग हाजीपुर में प्रेषित करने कि व्यवस्था करें ताकि उस पर विचार किया जा सके।

(ए. के. झा)

सकाधि/आईआर & डब्लू
कृते अध्यक्ष मु० कर्मचारी कल्याण निधि समिति
पुमरे/हाजीपुर

स. ईसीआर/एसबीएफ/मि टी ग/17-18

दिनांक- 18.09.2017

प्रतिलिपि-

1. सभी विभागाध्यक्ष, पुमरे हाजीपुर।
2. अध्यक्ष, मुख्यालय कर्मचारी कल्याण निधि समिति, हाजीपुर
-सह-उप मुकाधि/आईआर & डब्लू
3. सचिव, मुख्यालय कर्मचारी कल्याण निधि समिति हाजीपुर
4. सदस्य, मुख्यालय कर्मचारी कल्याण निधि समिति
-सह-शाखा सचिव, मुख्यालय शाखा, ईसीआरकेयू हाजीपुर।
5. सदस्य, मुख्यालय कर्मचारी कल्याण निधि समिति
-सह-महासचिव ओ.बी.सी.एशोसियेशन हाजीपुर
6. सदस्य, मुख्यालय कर्मचारी कल्याण निधि समिति
-सह-कोषाध्यक्ष, एस.सी. एस.टी. एशोसियेशन हाजीपुर
7. सर्व संबंधित पुमरे, हाजीपुर।
8. नोटिस बोर्ड
9. सकाधि एमपीओ- कृपया वेबसाइट पर डालने की व्यवस्था करें।

18/10/17
18/10/17


18/09/17

कृते अध्यक्ष मु० कर्मचारी कल्याण निधि समिति


शैक्षणिक (तकनीकी / व्यावसायिक शिक्षा), सहायता के नियम

1. आर बी ई 83/2014 एवं 136/2014 के अनुसार यह नियम सभी ग्रुप डी एवं ग्रुप सी कर्मचारियों पर लागू होगा सिवाय उनके जो आकस्मिक मजदूर हैं।
2. सभी आवेदन दिये गये प्रपत्र में नियंत्रक अधिकारी (जिनके अधीन कर्मचारी कार्यरत हो) द्वारा प्रति हस्ताक्षरित (Countersigned) होना आवश्यक है। छात्र जिस संस्थान में अध्ययनरत हों, वहां के प्रधान द्वारा संलग्न प्रोफार्मा में प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
3. सभी आवेदन प्रपत्र (Performa) में पूर्ण रूप से सभी प्रकार से ठीक-ठाक भरें हों, जैसा कि नियम में दिया गया है।
4. प्रतिवर्ष एकमुश्त छात्रवृत्ति कर्मचारियों के वार्ड (छात्र/छात्रा) को दी जाएगी जो तकनीकी व्यावसायिक डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रम आदि में अध्ययनरत हैं।
5. कर्मचारी का बैंक खाता सं., बैंक का नाम व पता आवेदन में उल्लिखित किया जाना आवश्यक है। भरा हुआ आरटीजीएस फार्म तथा निरस्त चेक की एक प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें।
6. तकनीकी शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति पूरे पाठ्यक्रम के लिये लागू होगा, लेकिन निम्न कारणों में से किसी एक के अन्तर्गत आने वाले छात्र व छात्राओं को शैक्षणिक सहायता नहीं दी जाएगी
(क) यदि छात्र पाठ्यक्रम की किसी भी स्तर पर उसी कक्षा में रोक रखा गया हो।
(ख) छात्र किसी कारण से पढाई छोड़ दिया हो।
(ग) यदि छात्र किसी संस्थान से निःशुल्क या अर्ध-निःशुल्क या कोई भी छूट पाये हों।
(घ) यदि छात्र संगठन में कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा हो।
(ङ) यदि छात्र किसी भी स्रोत से अध्ययन के लिये कोई शैक्षणिक सहायता पाये हों।
7. रेल कर्मचारियों के गृह, बहरे, अर्ध छात्रों को ट्यूशन फीस, बोर्डिंग और लॉजिंग शुल्क के लिये वृत्तिका संबंधित विद्यालय संस्थान को दी जाएगी।
8. आवेदन दिये गये प्रपत्र में उचित माध्यम से सेवा एवं वेतन संबंधी विवरण के साथ परीक्षा शुल्क रसीद की मूल प्रति और संस्थान, जहाँ जॉब परीक्षा दिया, के प्रधान द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र के साथ जमा किया जाना अपेक्षित है।

नोट-संलग्नक रहित/अधूरे आवेदन पर कोई कारवाई नहीं की जाएगी तथा किसी भी परिस्थिति में आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।


18/09/17


18.9.17


18.9.17

पूर्व मध्य रेल

शैक्षणिक सहायता हेतु आवेदन प्रपत्र (वर्ष 2017-18)

अध्यक्ष मुख्यालय कर्मचारी कल्याण निधि समिति,
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुरविषय- तकनीकी/ व्यावसायिक शिक्षा हेतु सहायता/ छात्रवृत्ति के लिए आवेदन (वर्ष
-2017-18)

संदर्भ- सं० ईसीआर/एसबीएफ/परीक्षा/ 17-18 दिनांक 18/09/2017

1. (क) रेल कर्मचारी का नाम-
(ख) पदनाम-
(ग) वेतन एवं ग्रेड पे (छटे वेतनमान के अनुसार)-
(घ) कोटि-अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ पिछली जाति या अन्य-
2. (क) छात्र/ छात्रा का नाम-
(ख) कक्षा जिसमें पढ़ रहा हो-
(ग) संस्थान का नाम व पता जिसमें पढ़ रहा हो-
3. (क) कोर्स का नाम-
(ख) क्या नवीकरण है ? -
(ग) संस्थान में दाखिले की तारीख-
(घ) वर्तमान पाठ्यक्रम के लिये लिए गए विषय एवं प्राप्तांक (कृपया अंकपत्र की अभिप्रेमाणित प्रति संलग्न करें।)
(i) (ii) (iii)
(iv) (v)
4. (क) उत्तीर्ण किये गये पिछले अंतिम या आवधिक परीक्षा का नाम -
(ख) उक्त परीक्षा का माह एवं वर्ष -
(ग) विश्वविद्यालय, बोर्ड या संस्थान का नाम -
1. क्या छात्र/ छात्रा पिछले वर्ष में उसी कक्षा में रोक रखा गया था ? -
2. वार्षिक भुगतान के किये गये ट्यूशन शुल्क की राशि -
3. क्या छात्र/ छात्रा छात्रावास में रह रहे हैं यदि हाँ तो छात्रावास का नाम और मासिक शुल्क का विवरण -
4. क्या छात्र को कोई सुविधा मिल रहा है:-

- (क) कोई छात्रवृत्ति -
(ख) निःशुल्क -
(ग) अर्द्ध निःशुल्क -
(घ) कोई छूट -

(यदि हाँ तो राशि एवं स्रोत बताएँ)

क्रमशः ...

18/09/17

18.9.17

18/9/17


5. आवेदक शैक्षणिक सहायता/ छात्रवृत्ति हेतु किस वर्ष के लिये आवेदन कर रहे है (प्रथम / द्वितीय/ तृतीय/ चतुर्थ वर्ष):-
6. क्या जिस संस्था में छात्र / छात्रा पढ़ रहा है उस संस्था के प्रमुख द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है ?-
7. भुगतान हेतु RTGS से बैंक के माध्यम से किया जाएगा अतः बैंक का विस्तृत विवरण एवं एक निरस्त चेक छाया प्रांते या निरस्त चेक आवेदन के साथ संलग्न किया गया है कि.नहीं -

संलग्नक-


दिनांक-

आवेदक का हस्ताक्षर
पदनाम-
विभाग व अनुभाग
भ0 नि0 सं0-
मो0 नं0-
बैंक खाता सं0-
बैंक का नाम व पता-
IFSC No.

अग्रसारित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
दिनांक-
मुहर


18-9-17


18-9-17


18/09/17

Form for Educational Assistance from Staff Benefit Fund for the year – 2017-18

certificate to be issued by the head of the Institution.

I certify that Sri/ Miss Son/Daughter of Sri/Smt..... is a student of class.....

of.....year of Engg/ Medical/Degree/MBA/Diploma Course etc.

He/She is a student of this institution ofYear since(Month/Year)

1. He/She has taken the following subjects:-

a		b		c	
d		e		f	

Total marks secured by him/her arein the final or periodical Examination (Name of the examination) held on(Month/year).

2. The student is not enjoying any free or half free studentship/ Scholarship Assistance from the Institution. He/She is not enjoying financial assistance from any other sources, as declared to us by the student.

3. In case of staying in the hostel, the name of hostel and other charges :-

4. The student has been detained/has not been detained in the class.

- Name of the year and class.....
- Name of the examination.....

5. The student is paying Rs..... As tuition fee monthly/half Yearly/yearly to this Institution.

Signature of the principal/
Head of the Institution with Seal

Dated.....

Name and Address of the Institution.

IBA.17

8/09/18 18.9.18

पूर्व मध्य रेल

5

चिकित्सीय सहायता हेतु आवेदन प्रपत्र (वर्ष 2017-18)

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष मुख्यालय कर्मचारी कल्याण निधि समिति, पूर्व मध्य रेल/ हाजीपुर।

नाम:

पदनाम:

कर्मचारी का बकाया अवकाश:- LAP:..... एवं LHAP:.....

रोगी का नाम:

रोगी का कर्मचारी के साथ सम्बंध:

निम्नलिखित बिमारियों के कारण से सहायता के लिए एसबीएफ के अन्तर्गत आवेदन कर रहा/रही हूँ।(बिमारी का पूर्ण विवरण दिया जाये):-

विगत तीन वर्षों के दौरान एसबीएफ या सीएसबीएफ से प्राप्त सहायता राशि का वर्ष-वार विवरण :-

कर्मचारी का बैंक विवरण:- बैंक खाता सं..... बैंक का नाम:-

ब्रान्च का नाम:..... IFSC code-----

टिप्पणी:- बिमारी के कारण राहत के लिए आवेदन के साथ रेलवे मेडिकल प्रमाण-पत्र एवं अन्य भाउचर सलग्न करें। यदि कर्मचारी ने रेलवे के अलावे कहीं और इलाज करवाया हो तो उन कारणों को स्पष्ट करें जिसके चलते उन्होंने रेलवे की मेडिकल सहायता नहीं ली है।

आवेदक का हस्ताक्षर

अग्रसारित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
(मुहर)

रेलवे चिकित्सक द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... जो श्री/श्रीमती..... के
पुत्र/पुत्री/पत्नी/आश्रित है जो दिनांक..... से (रोग का नाम)..... बीमारी
से पीड़ित है।

चिकित्सा अधिकारी का हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

अध्यक्ष, मंडल/यूनिट कर्मचारी कल्याण निधि
समिति द्वारा अभियुक्ति के साथ अग्रसारित

18/09/18 18/9/18

18/9/18

6

पूर्व मध्य रेल

चश्में की लागत की सहायता हेतु आवेदन प्रपत्र (वर्ष 2017-18)

अध्यक्ष मुख्यालय कर्मचारी कल्याण निधि समिति,
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

विषय- चश्में की लागत हेतु सहायता के लिए आवेदन (वर्ष - 2017-18)
संदर्भ- सं० ईसीआर/एसबीएफ/मीटिंग / 17-18 दिनांक / 09/2017

मुख्यालय कर्मचारी निधि समिति, पूर्व मध्य रेल हाजीपुर से मुझे चिकित्सक के सलाह पर क्रय किए गए चश्में की लागत हेतु सहायता प्रदान करने की कृपा करें। पूर्ण विवरण निम्न है:-

- कर्मचारी का नाम -
- कार्यालय का नाम -
- कार्यालय का पता -
- कोटि (SC/ST/OBC/UR) -
- वेतन एवं ग्रेड पे (छटे वेतनमान के अनुसार) -
- नियुक्ति तिथि-
- पूर्व में चश्में के लिए कितनी बार सहायता ली गयी है/तिथि भी दर्शायें-
- चिकित्सक द्वारा चश्मे की जाँच एवं सलाह का रपट -
- चश्में का मूल्य/मूल रसीद संलग्न करें/-
- बैंक भुगतान हेतु RTGS की पूरी तरह भरा हुआ एवं बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ का छाया प्रति या निरस्त चेक का एक प्रति संलग्न/-

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर
पदनाम-
विभाग व अनुभाग
भ० नि० सं०-
मो० नं०-
बैंक खाता सं०-
बैंक का नाम व पता-
IFSC No.

प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी श्री/ श्रीमती जो के पद एवं वेतन (पुराना) दर पर इस विभाग में कार्यरत है, के संलग्न प्रपत्र के आधार पर कर्मचारी कल्याण निधि से चश्में की लागत की क्षतिपूर्ति हेतु नियमानुसार सहायता प्रदान करने हेतु अग्रसाति किया जाता है।

अधिकारी का हस्ताक्षर मुहर सहित

18/09/17 18.9.17 18.9.17